ज्ञाप संख्या–14 / डी0एल0ए0–(बाईपास सड़क)–मुजफ्फरपुर–214 / 2013- 3022 / रा0, पटना, दिनांक–30-12-13

बिहार सरकार

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

भू–अर्जन प्रशाखा

अधिसूचना

संख्या : **आर0** **पटना,** **दिनांक :**

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–नवानगर निजामत, थाना नं0–28, अंचल–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात साहेबगंज बाईपास निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा–नवानगर निजामत, थाना नं0–28, अंचल–साहेबगंज, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 2.7925 **(दो एकड़ सबा उनासी डीसमल)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

पूर्ण खेसरा संख्या–609 एवं 610 तथा अंश खेसरा संख्या– 594, 597, 598, 600, 601, 603, 606, 607, 608 611, 612, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 703, एवं 704.

चौहद्दी

उत्तर – अंश खेसरा सं0– 593.

दक्षिण – अंश खेसरा संख्या–636.

पूरब – अंश खेसरा सं० –594, 597, 598, 608, 625, 629, 630, 632, 703, 704, तथा पूर्ण खेसरा संख्या–633.

पश्चिम – अंश खेसरा नं०–598, 600, 601, 603, 606, 607, 611, 612, 623, 625, 626, 627, 628, एवं 632.

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर

ज्ञाप संख्या–14/डी0एल0ए0–(बाईपास सड़क)–मुजफ्फरपुर–214/2013-3022/रा0, पटना, दिनांक–30-12-13

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

30/12/13

सरकार के अवर सचिव।